संख्या-03/2022/आई/142690/2022/फाइलनं0.10-22099/1225/2020-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2022

विषय : ऑन लाईन सेवा पोर्टल द्वारा पेंशन प्रबन्ध एवं नियंत्रण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-23/2021-सा-700/दस-2021-301 (18)/2021 दिनांक 30-11-2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें दी गयी व्यवस्था के अनुसार, माह मार्च, 2022 में एवं उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण व्यवहृत किये जाने हैं।

2- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30.11.2021 के संलग्नक-2 में मार्च, 2022 से जुलाई, 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। अगस्त, 2022 एवं उससे आगे के माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में विस्तृत समय-सारिणी उक्त शासनादेश के संलग्नक-1 में निर्धारित है।

3- "उत्तर प्रदेश ऑनलाईन पेंशन सिस्टम" पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों की दिनांक 22 फरवरी, 2022 की प्रास्थिति निम्नानुसार है:-

....2/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सेवानिवृत्ति का माह	सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या	ई-पेंशन पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों की संख्या	ऐसे कार्मिकों की संख्या, जिनके द्वारा पेंशन प्रपत्र भरे गये हैं	आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अग्रसारित प्रकरणों की संख्या	निर्गत पी0पी0ओ0 की संख्या
मार्च, 2022	1311	1269	453	176	15
अप्रैल, 2022	798	771	206	66	04

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभी तक हुयी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। सरकार का यह प्रयास है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन भुगतानादेश उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व निर्गत हो जायें। इस प्रयास में सभी सम्बन्धितों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में निम्नानुसार अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये:-

(1) समस्त कार्यालयाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि शासनादेश दिनांक 30.11.2021 में निहित व्यवस्था के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर उनके द्वारा की जाने वाली औपचारिकताओं को तत्काल पूर्ण कराया जाये। मार्च, 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रपत्र ऑनलाईन पेंशन पोर्टल के सिस्टम पर प्रत्येक दशा में दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक तथा अप्रैल, 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रपत्र दिनांक 07 मार्च, 2022 तक भरवाकर पी0पी0ओ0 निर्गत करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारी को अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाये।

(2) समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, ई-पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रतिदिन अवलोकन करें तथा सम्बन्धित जनपदों से संदर्भगत प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को उपलब्ध करायें तथा प्रगति के संबंध में फीडबैक प्राप्त करें।

...3

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारीगण जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें तथा जिलाधिकारी द्वारा ली जाने वाली स्टाफ मीटिंग में सिस्टम पर कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा को ई-पेंशन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करायें ताकि जनपद स्तर पर नियमित रूप से प्रभावी अनुश्रवण के माध्यम से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

कृपया इन निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुश्रवण अपने स्तर पर करें तथा प्रगति आख्या शासन को प्रतिदिन उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।